संख्या—3689/9—आ—1—1999

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास अनुभाग—1 | लखनऊ :दिनांक : 27 जुलाई, 1999

विषयः विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन) उपविधि, 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) को लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—4167/9—आ—1—1998 दिनांक 20.10.1998 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन)(द्वितीय संशोधन)उपविधि, 1998 को प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर तत्काल अंगीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त शासन को सूचित किया जाए ताकि राजकीय गजट में अभी तक कार्यवाही नहीं की है। इस सम्बन्ध में मा0 आवास मंत्री जी ने यह अपेक्षा की है कि यदि बोर्ड ने कोई नीति निश्चित की है तो गाजियाबाद में भी इस शासनादेश का विस्तार किया जाए।

2— अतएव मुझे कहने का निदेश हुआ हे कि शासनादेश संख्या 4167/9—आ—1—98 दिनांक 29.10.98 तथा उसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या 5079/9—आ—1—1998 दिनांक 15.12.1998 व शासनादेश संख्या 460/9—आ—1—1999—120 वि0/98 दिनांक 3.2.1999 द्वारा जारी स्वैच्छिक शमन उपविधि योजना को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निम्न परिष्कारों सहित लागू किया जाए :—

(प) स्वैच्छिक शमन उपविधि/योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए वही व्यक्ति पात्र होंग जिन्होंने शासनादेश संख्या 1443—9—आ—1—98 डी0ए0/81 दिनांक 21.4.98 द्वारा पूर्व में जारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपराधों का (शमन)(द्वितीय संशोधन)उपविधि, 1998 का लाभ नहीं उठाया है। जिन प्रकरणों में पूर्व उपविधि के अन्तर्गत शमन हेतु आवदेन पत्र/मानचित्र प्राधिकरण में जमा किए जा चुके हैं, वे नई उपविधि का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(पप) नई शमन उपविधि के अनुसार अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु जो देयता बनती है, उसके ऊपर आवेदक से शमन की दर 15 प्रतिशत अधिक ली जाएगी।

3— कृपया नई स्वैच्छिक शमन उपविधि उपरोक्त परिष्कारों सहित लागू किए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या— 3689(1)/9—आ—1—1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव